सं. 11014/16/2015-राभा (प)
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन डी सी सी भवन-II, चौथा तल, बी विंग
नई दिल्ली - 110001
दिनांक 28 मई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के बेंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना ।

दिनांक 13 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11014/16/2015-राभा (प) द्वारा मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि ऐसे समस्त मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, सरकारी क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय, जो इस पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां भेजने के इच्छुक हैं तथा प्रस्तर 04 में उल्लिखित अर्हता की न्यूनतम शर्तें पूरी करते हैं, दिनांक **1.04.2014** से दिनांक **31.03.2015** के बीच की अवधि में प्रकाशित गृह पत्रिका के सभी संस्करणों की 3-3 प्रतियां दिनांक 31.05.2015 तक इस विभाग को प्रेषित करें ।

2. उपरोक्त पुरस्कार योजना के लिए अंतिम तिथि 31 मई, 2015 से बढ़ाकर **30 जून, 2015** कर दी गई है।

हरिन्द्र 28/5/2015
(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक (कार्यान्वयन)
011-23438129

सेवा में

1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों /विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/बैंक व वित्तीय संस्थाएं ।
2 समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक (कार्यान्वयन)/प्रभारी अधिकारी, सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग को इस निर्देश सहित की वे अपने दायित्व के क्षेत्र में पात्र संगठनों के मुख्यालयों में इस योजना का तात्कालिक व प्रभावी प्रसार करें ।

सं. 11014/16/2015-राभा (प)
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन डी सी सी भवन-II, चौथा तल, बी विंग
नई दिल्ली - 110001
दिनांक 13 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना ।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए समय - समय पर हिंदी गृह-पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं । इन पत्रिकाओं के कलेवर, साज-सज्जा और लेखों की शैली में उल्लेखनीय प्रगति हुई है ।

2 विभाग संकल्प सं. 11034/48/2014-रा.भा. (नीति), दिनांक 25 मार्च, 2015, के अनुपालन में हिंदी पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार की उल्लिखित संगठनों द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक भाषाई क्षेत्र यथा 'क', 'ख' तथा 'ग' में इस योजना में दो-दो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे ।

3 पुरस्कारों के अंतर्गत शील्ड और प्रमाण पत्र-प्रदान किए जाएंगे । इस योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार देय नहीं हैं।

4 पुरस्कार प्रदान करने के लिए पात्रता की न्यूनतम आहर्ताएं निम्नवत हैं :-

(क) पत्रिका में कम से कम 40 पृष्ठ होने चाहिए ।

(ख) हिंदी में पृष्ठों की संख्या कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या का कम-से-कम 80% होनी चाहिए ।

(ग) पत्रिका के 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 की अवधि के दौरान कम से कम 2 अंक प्रकाशित होने चाहिए ।

5 ऐसे समस्त मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, सरकारी क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय, जो इस पुरस्कार के लिए प्रार्थना पत्र देने के इच्छुक हैं तथा प्रस्तर 04 में उल्लिखित अर्हता की न्यूनतम शर्तें पूरी करते हैं, दिनांक **1.04.2014** से दिनांक **31.03.2015** के बीच की अवधि में प्रकाशित गृह पत्रिका के सभी संस्करणों की 3-3 प्रतियां दिनांक **31.05.2015** तक इस विभाग को भेजेंगे । प्रविष्टियाँ भेजते समय इस ज्ञापन के साथ संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना पूर्ण व स्पष्ट रूप में भर कर निम्नांकित अधिकारियों में से किसी एक को भेजने की कृपा करें ।

1 श्री हरिन्द्र कुमार
निदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, एनडीसीसी भवन-II
चौथा तल, बी विंग, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली -110001
दूरभाष : 011-23438129
वेबसाइट: www.rajbhasha.gov.in

2. श्री राकेश शर्मा 'निशीथ'
सहायक संपादक, राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-भवन -II
चौथा तल, बी विंग, जय सिंह रोड
नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23438137

हरिन्द्र 13/4/15
(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक (कार्यान्वयन)

सेवा में

1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों /विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/बैंक व वित्तीय संस्थाएं ।

2 समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक (कार्यान्वयन)/प्रभारी अधिकारी, सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग को इस निर्देश सहित की वे अपने दायित्व के क्षेत्र में पात्र संगठनों के मुख्यालयों में इस योजना का तात्कालिक व प्रभावी प्रसार करें ।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिकाओं के लिए पुरस्कार योजना से संबंधित प्रपत्र ।

1. मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्था का नाम...
2. नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम (जिससे अतिरिक्त सूचनार्थ किसी बिन्दु पर स्पष्ट स्थिति कराने हेतु संपर्क किया जा सके)...
3. मुख्यालय का पूरा डाक पता (पिन सहित)...
4. नोडल अधिकारी का ई-मेल आईडी ....
5. नोडल अधिकारी का दूरभाष ....
6. नोडल अधिकारी का मोबाइल सं..
7. नोडल अधिकारी का फैक्स सं...
8. भाषाई क्षेत्र की श्रेणी .... (क, ख तथा ग)
9. गृह पत्रिका का नाम : ....

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ....(संगठन का नाम) द्वारा प्रकाशित .... (गृह पत्रिका का नाम) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के गृह पत्रिका योजना, 2014-15 में भाग लेने के लिए निर्धारित पात्रता मापदण्डों के अनुरूप है ।

संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

नाम..............................
(पूरा नाम साफ शब्दों में लिखें)
पदनाम ....
मोहर

स्थान ....
तारीख ....